[2018] 10 एससीआर 615

प्रिया प्रकाश वारियर और अन्य

बनाम

तेलंगाना राज्य और अन्य

(2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 44) 31 अगस्त, 2018 [दीपक मिश्रा, सीजेआई, एएम खानविलकर एंव डॉ० डीवाई चंद्रचूड़,जेजे]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1860: धारा 295 ए - तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि फिल्म में 'माणिक्य मलाराया पूवी' गीत के चित्रांकन से उन्होंने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत किया है - याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 295 ए के तहत अपराध के लिए एफआईआर - याचिकाकर्ताओं-अभिनेता, निर्माता और फिल्म के निर्देशक, एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए - याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उक्त गीत 1978 से केरल राज्य के विभिन्न हिस्सों में गाया गया था। उक्त गीत, एक मप्पिला गीत है जो केरल के मालाबार क्षेत्र के एक पारंपरिक मुस्लिम गीत का एक संस्करण है; और यह गाना फिल्म में गाया जा रहा है , जो अभी रिलीज नहीं हुई है और एक प्रचार उद्यम के रूप में यूट्यूब और अन्य माध्यमों में उपलब्ध है - अवधारित किया गया है: धारा 295 ए इस मामले में लागू नहीं है - उक्त गीत को केवल 'आंख मारने' के कारण चित्रित करना नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या अपमान करने का प्रयास नहीं होगा - यह गीत तब से यूट्यूब पर है। फरवरी, 2018 - यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 295 ए को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था का अपमान करने या भंग करने के लिए कोई सोची-समझी प्रवृत्ति अपनाई जाती है - इसके अलावा, हस्तक्षेपकर्ता, जो एफआईआर में मुखबिर था, पूरी संभावना है कि एफआईआर से लाभ प्राप्त करने के लिए एक उत्सुक रहा है, हालांकि यह वास्तव में आवश्यक नहीं था - इसके मद्देनजर, एफआईआर को रद्द किया जाता है - इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 154 के तहत कोई एफआईआर या सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कोई शिकायत नहीं की जाएगी - भारत का संविधान - अनुच्छेद 32। रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य एआईआर 1987 एससी 620 पर भरोसा किया गया। मनोहर लाल शर्मा बनाम संजय लीला भंसाली और अन्य।(2018) 1 एससीसी 770; महेंद्र सिंह धोनी बना महेंद्र सिंह धोनी येरागुंटला श्यामसुंदर और अन्य (2017) 7 एससीसी 760: [2017] 3 एससीआर 763 - संदर्भित। 615 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर. केस लॉ रेफरेंस (2018) 1 एससीसी 770 पैरा 10[2017] 3 एससीआर 763 को संदर्भित पैरा 11

एआईआर 1987 एससी 620 पैरा 13 आपराधिक मूल अधिकार क्षेत्र: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 44 पर निर्भर करता है। उपस्थित पक्षों की ओर से हारिस बीरन , मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, देव प्रकाश, सुश्री पल्लवी प्रताप , एस उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, प्रदीप कुमार कौशिक, डॉ. सुनील कुमार, आर. पी. गोयल, एडवोकेट। यह आदेश चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दिया है। 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वरीयता प्राप्त तत्काल रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं, अर्थात्, फिल्म के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक ने एफ.आई.आर को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है। 2018 की संख्या 34, दिनांक 14.02.2018, फलकनामा पुलिस स्टेशन, हैदराबाद, तेलंगाना में दर्ज की गई। इसके अलावा, एक प्रार्थना यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी एफ .आई.आर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि फिल्म में याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा "माणिक्य मलाराया पूवी" गीत का चित्रण किया गया है, जिसकी फिल्म का नाम "ओरू अदार लव" है।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उक्त गीत 1978 से केरल राज्य के विभिन्न हिस्सों में गाया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि इस गीत को याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा फिल्म के एक भाग के रूप में चित्रित किया गया है और उक्त गीत, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, एक मप्पिला गीत है जो केरल के मालाबार क्षेत्र के एक पारंपरिक मुस्लिम गीत का एक संस्करण है। दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं को उस फिल्म में गाए गए गाने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता जो अभी रिलीज नहीं हुई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह गाना प्रचार उद्यम के तौर पर यूट्यूब और अन्य माध्यमों पर उपलब्ध है।

3. इस मामले में एफ.आई.आर हस्तक्षेपकर्ता अर्थात् एम.ए. मुगीथ खान, पुत्र जवाद खान द्वारा दर्ज किया गया है। एफएलआर में आरोप यह कि यह गाना एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। प्रिया प्रकाश वारियर और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई] एफ.आई.आर. भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

4. विचारणीय मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आई .पी.सी. की धारा 295 ए. के तत्व इस मामले में आकर्षित होंगे।

5. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हारिस बीरन , तेलंगाना राज्य के विद्वान वकील श्री एस उदय कुमार सागर और हस्तक्षेपकर्ता के वकील श्री प्रदीप कुमार कौशिक को सुना है।

6. आईपीसी की धारा 295 ए इस प्रकार है: "295-ए. जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं या किसी वर्ग को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अपमानित करना है। - जो कोई भी, भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से , शब्दों, या तो बोले गए या लिखित , या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा द्वारा अपमानित करने के इरादे से, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या अपमान करने का प्रयास करेगा, वह तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

7. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और रामजी लाल मोदी बनाम U.P_A राज्य 1987 एससी 620 में एक संविधान पीठ ने यह बताया गया है कि धारा 295 ए को दंड संहिता के अध्याय 15 में शामिल किया गया है जो धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित है, न कि अध्याय 8 में जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों से संबंधित है और इस परिस्थिति से यह आग्रह करने की मांग की जाती है कि धर्म से संबंधित अपराधों का सार्वजनिक व्यवस्था या शांति बनाए रखने पर कोई असर नहीं पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप धर्म से संबंधित अपराध बनाने और लागू करने वाला कानून बनता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19 के खंड (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं, का संदर्भ यह दिखाएगा कि तर्क पूरी तरह से असमर्थनीय है। उन अनुच्छेदों द्वारा सुनिश्चित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार स्पष्ट रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धर्म की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं हो सकता है । सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में जो कुछ भी हो या धर्म से संबंधित अपराध पैदा करने वाला कानून किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित नहीं कहा जा सकता है। उन दो अनुच्छेदों में इस बात पर विचार किया गया है कि लोक व्यवस्था के हित में उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 9. विद्वान अधिवक्ता ने तब अपना आधार बदल दिया और अपनी आपत्ति को थोड़ा अलग तरीके से तैयार किया। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भारत के नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान , कुछ मामलों में सार्वजनिक विकारों का कारण बन सकता है, लेकिन कई मामलों में वे ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसलिए, एक कानून जो धर्म के अपमान को अपराध बनाकर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, दोनों प्रकार के अपमान को कवर करेगा अर्थात वह जो सार्वजनिक विकारों के साथ-साथ उन लोगों को भी जन्म दे सकते हैं जो नहीं हो सकते

हैं। जहां तक कानून पहली किस्म को संरक्षित करता है, यह कहा जा सकता है कि इसे अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिनियमित किया गया है, लेकिन जहां तक यह कवर करता है, शेष विविधता उस खंड के भीतर नहीं आएगी। तर्क यह है कि जब तक संविधान द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए कानून लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है , तब तक पूरे कानून को असंवैधानिक और शून्य माना जाना चाहिए। आक्षेपित धारा में प्रयुक्त भाषा को देखते हुए हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पहले स्थान पर, अनुच्छेद 19 का खंड (2) "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून की रक्षा करता है , जो "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" की तुलना में बहुत व्यापक है। इसलिए, यदि कुछ गतिविधियों में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति है , तो ऐसी गतिविधियों को अपराध के रूप में दंडित करने वाले कानून को "सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून नहीं माना जा सकता है, हालांकि कुछ मामलों में उन गतिविधियों से वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो सकता है। अगले स्थान पर , धारा 295 ए नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमान या अपमान के किसी भी कार्य को दंडित नहीं करती है, लेकिन यह केवल नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के प्रयासों के उन कृत्यों को दंडित करती है जो उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए जाते हैं। अपमानित करने के लिए अनजाने या लापरवाही से या बिना किसी जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे के धर्म का अपमान किया जाना उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को मंजूरी के दायरे में नहीं आता है। यह केवल धर्म के अपमान के उग्र रूप को दंडित करता है जब यह उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है। अपमान के इस उग्र रूप की सुनियोजित प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए है और ऐसी गतिविधियों को दंडित करने वाली धारा, अनुच्छेद 19 के खंड (2) के संरक्षण में है, क्योंकि यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून है। आक्षेपित धारा द्वारा बनाए गए अपराध के अवयवों के संबंध में, हमारी राय में, इस कानून को संविधान द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए लागू किए जाने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में , धारा में नियोजित भाषा इतनी व्यापक नहीं है कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से स्वीकार्य विधायी कार्रवाई की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों प्रतिबंधों को कवर कर सके और परिणामस्वरूप विच्छेद का सवाल ही नहीं उठता है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का इस मामले में कोई आवेदन नहीं है।

8. जिस गीत का प्रचार किया गया है, उसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:- "वह मक्का की पवित्र भूमि में एक अनमोल फूल की तरह खिल गई, महान खदीजा बीवी पवित्र भूमि में घूम रही थी महिला घूम रही थी उसने आदरणीय प्रभु को बुलाया , नबी और उसे व्यापार के लिए भेजो उसने उसे देखा और उसे दिल से चाहा, वह व्यापार के बाद वापस आई और उसने उसका हाथ मांगा, उसने उसका हाथ मांगा।

9. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता, जिन्होंने हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन दायर किया है, ने कहा कि उन्हें गीत के संबंध में कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह एक लोक गीत है और 1978 से सार्वजनिक कायक्षेत्र में है। जैसा भी हो उनकी शिकायत चित्रांकन के तरीके से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.

10. धारा 295 ए की गहन जांच और रामजी लाल मोदी (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बाद, हम यह नहीं पाते हैं कि उक्त प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होगा। हम ऐसा सोचने के इच्छुक हैं, क्योंकि उक्त गीत को केवल 'आंख मारने' के कारण चित्रित करना नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान या अपमान करने का प्रयास नहीं होगा। यह गाना फरवरी, 2018 से यूट्यूब पर है। हम यह नहीं मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आईपीसी की धारा 295 ए के क्रोध को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था का अपमान करने या भंग करने के लिए कोई सोची-समझी प्रवृत्ति अपनाई जाती है। इस संबंध में, हम मनोहर लाल शर्मा बनाम संजय लीला भंसाली एंव अन्य (2018) 1 एससीसी 770 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने कहा: "सेल्युलाइड पर बताई गई कहानी या एक मंच पर अभिनय किया गया नाटक या वाक्पटुता के साथ बोले गए व्यापक और बड़े कैनवास या महाकाव्य में व्यक्त किया गया उपन्यास या जुनून के साथ गाई गई या लय के साथ सुनाई गई कविता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कई परतें हैं। विचार जिसमें नवाचार, कौशल, शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है और, सबसे ऊपर, कल्पना या वास्तविकता के उपहार पर स्थापित व्यक्तिगत मौलिकता कल्पना में बदल जाती है या इसके विपरीत। मंच अलग हो सकता है और यही कारण है कि, रचनात्मक वृत्ति का सम्मान किया जाता है और भीतर से अंतर्निहित सुरक्षात्मक अधिकार होता है जिसे कलात्मक लाइसेंस कहा जाता है।

11. महेंद्र सिंह धोनी बनाम येरागुंटला श्यामसुंदर और अन्य (2017) 7 एससीसी 760 मामले में, धारा 295 ए के तहत एफआईआर के पंजीकरण का औचित्य इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। इसमें याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए, अदालत ने धारा 295 ए आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया।

12. यदि संविधान पीठ के अनुपात की उचित रूप से सराहना की जाती है , तो उक्त प्रावधान को कुछ शर्तों के साथ बचाया गया था, क्योंकि बड़ी पीठ ने कहा था कि धारा में नियोजित भाषा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से स्वीकार्य विधायी कार्रवाई की सीमाओं के भीतर और बिना प्रतिबंधों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक नहीं है। धर्म के अपमान के उग्र रूप पर जोर दिया गया था जब इसे उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से अंजाम दिया जाता है। प्रिया प्रकाश वारियर और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और एक अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

13. जैसा कि हम समझते हैं, हस्तक्षेपकर्ता, जो एफ.आई.आर. में एक मुखबिर था। पूरी संभावना है कि एफ .आई.आर. से लाभ हासिल करने के लिए उत्साही रहा है , हालांकि वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी। हमारे सामने जो आग्रह किया जाता है वह यह है कि जिस पिक्चराइजेशन में अभिनेत्री को आंख मारने के साथ शामिल किया जाता है, वह ईशनिंदा है। इसके अलावा कोई अन्य आरोप नहीं है। इस तरह के आरोप , भले ही यह सच हो, आईपीसी की धारा 295 ए के दायरे में नहीं आएगा, जैसा कि रामजी लाल मोदी (सुप्रा) में समझाया गया है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका को अनुमति देते हैं और 2018 के एफ.आई.आर. संख्या 34 को रद्द करते हैं। हम यह भी निर्देश देते हैं कि धारा 154 के तहत कोई एफ.आई.आर. या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत किसी भी शिकायत को गाने के चित्रांकन के कारण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। तदनुसार याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

(Brijesh Kumar Yadav)
J.O. Code-U.P. 1605
Addtional District Judge, Fast Track Court-I,
Bareilly.

Digitally signed by Brijesh Kumar Yadav
Date: 2023.10.28 14:04:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court